# योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

## मध्यप्रदेश

क्र. 682/2013/रा.यो.आ./जि.यो./वि.नि./ भोपाल, दिनांक: 6.7.13

प्रति,

**समस्त कलेक्टर,**
**मध्यप्रदेश**

**विषयः—** **विकेन्द्रीकृत जिला योजना (Decentralized Planning) वर्ष 2014—15 बनाने हेतु दिशा—निर्देश ।**

प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास के लिए योजना में जन—सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली वर्तमान की आवश्यकता है। संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा स्थानीय स्व—शासन की इकाईयों को संवैधानिक मान्यता देते हुये विकेन्द्रीकृत नियोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली का उददेश्य नियोजन प्रक्रिया में समाज के सभी वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, बच्चों, विकलांग और बेसहारा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर उनकी आवश्यकताओं का आंकलन करयोजना का निर्माण करना है।

उक्त प्रक्रिया वर्ष 2010—11 से पूरे प्रदेश में सफलतापूर्वक अपनाई जा रही है। जिसका श्रेय आप सभी के विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिए गंभीर सोच व प्रयासों को जाता है। किंतु अभी इस दिशा में और अधिक समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता है। विगत वर्षों की भांति वर्ष 2014—15 हेतु भी विकेन्द्रीकृत जिला योजना बनाई जानी है। इस संबंध में योजना निर्माण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, समय—सीमा, वित्तीय प्रावधान आदि के विस्तृत दिशा—निर्देश पत्र के साथ सलंग्न है।

जिलों की योजना सीमा निर्धारण समुदाय द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताओं एवं विभागीय रिस्पांस प्लान के आधार पर ही किया जावेगा। अतः इस प्रक्रिया को और अधिक गहनता एवं गंभीरता के साथ क्रियान्वित करने की अपेक्षा की जाती है। प्रक्रिया में निम्नलिखित बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दिया जाये :—

- विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के दौरान विगत वर्षों में स्वीकृत कार्यो का क्रियान्वयन एवं नियमित मॉनीटरिंग।
- विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली में समस्त वर्गो की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित हो।
- ग्राम/वार्ड द्वारा प्रस्तावित योजना का ग्राम सभा/वार्ड सभा में वास्तविक अनुमोदन अनिवार्यतः हो।
- समस्त डाटा की गुणवत्ता हेतु नियोजन प्रपत्र ध्यान से भरे जावें जैसे गतिविधि की इकाई, इकाई लागत, संबंधित योजना/क्षेत्रक से चिन्हांकित/लिंक करना आदि। साथ ही साफ्टवेयर में डाटा प्रविष्ठी का कार्य त्रुटि रहित हो।
- जिला स्तर के संबंधित विभाग प्रस्तावित कार्यो का विश्लेषण कर विभागीय रिस्पोंस प्लान (Response Plan) की डाटा इंन्ट्री अवश्य कराएं तथा समय—समय पर प्रगति को साफ्टवेयर में प्रविष्टि तथा अपडेट करें।

राज्य योजना आयोग द्वारा विकेन्द्रीकृत एवं एकीकृत जिला योजना निर्माण को सफल बनाने हेतु विस्तृत दिशा—निर्देशों के अलावा एक विस्तृत मैन्युअल, विभिन्न प्रशिक्षण मोड्यूल, सोफ्टवेयर हेतु विशेष मोड्यूल आदि को विकसित किया गया है ताकि विभिन्न मास्टर प्रशिक्षकों, नियोजन प्रक्रिया के सहयोग दलों को प्रक्रिया की बारीकियाँ एवं समझ विकसित हो सके। उपरोक्त सामग्री वेबसाइट www.mpplanningcommission.gov.in पर सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध है।

इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में जिला कलेक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः कृपया आप निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपने मार्गदर्शन में ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत स्तर/ नगरीय वार्ड

आदि नियोजन इकाईयों से योजनायें तैयार कराकर विभिन्न स्तरों पर समेकित करते हुए "समेकित जिला योजना" प्रारूप तैयार करें और निर्धारित अवधि में पूर्ण तथा उक्तानुसार साफ्टवेयर में प्रविष्टि कर दिनाँक 20 सितम्बर 2013 तक राज्य योजना आयोग को प्रेषित करें। उक्त कार्य में अंतिम दिनांक की प्रतीक्षा न करते हुये पूर्ण प्रक्रिया समयावधी में करें जिससे कि गुणवत्ता पूर्ण जिला योजना का निर्माण किया जा सके। **जिलों की समेकित जिला योजना को राज्य योजना आयोग में चर्चा उपरांत अंतिम रूप दिया जायेगा।** विश्वास है कि, वर्ष 2014–15 की विकेन्द्रीकृत एवं समेकित जिला योजना आपके मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनेगी और आप प्रदेश में इस परिवर्तन को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। इस संबंध में यदि और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता हो तो इस संबंध में राज्य योजना आयोग के दूरभाष क्रं. 0755–4093743 पर संपर्क किया जा सकता है।

**सलंग्नः–** 1. विकेन्द्रीकृतएवं समेकित जिला योजना 2014–15 हेतु क्रियान्वयन मार्गदर्शिका.
2. जिलों की प्रस्तावित जिला योजना राशि सीमा वर्ष 2014–15 की सूची.

(एस.आर.मोहंती)
**प्रमुख सचिव**
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

पृ. क्र.683/2013/रा.यो.आ./जि.यो./वि.नि./ भोपाल, दिनांकः 6-7-13

**प्रतिलिपिः–**

1. पी.ए. टू समस्त माननीय प्रभारी मंत्री, जिला.....,मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. समस्त अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत.....जिला.....
3. समस्त जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला.....।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव ..... विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. समस्त आयुक्त .....संभाग .
6. समस्त विभागाध्यक्ष ..... विभाग, भोपाल की ओर लेख है कि कृपया संबंधित विभाग को अपने स्तर से भी निर्देश जारी करें।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
8. समस्त संयुक्त संचालक, संभागीय सांख्यिकी कार्यालय..... संभाग।
9. समस्त जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, मध्यप्रदेश।
10. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।
11. कार्यपालक निदेशक, म.प्र.जन अभियान परिषद।
12. समस्त अधिकारी .....राज्य योजना आयोग।

सलंग्नः– विकेन्द्रीकृत एवं समेकित जिला योजना प्रक्रिया 2014–15 हेतु क्रियान्वयन मार्गदर्शिका।

(एस.आर.मोहंती)
**प्रमुख सचिव**
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

सलंग्नक–1

# विकेन्द्रीकृत एवं समेकित जिला योजना (Decentralized and Integrated Planning) वर्ष 2014–15 बनाने हेतु क्रियान्वयन मार्गदर्शिका

विकास के सूचकांको में राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचने के लिये मध्यप्रदेश राज्य को बेहतर विकास की दर हासिल करने की आवश्यकता है। त्वरित एवं समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विकेन्द्रीकृत जिला योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस प्रणाली में ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामसभा स्तर पर एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला/वार्ड समिति स्तर पर योजनायें तैयार की जाती हैं। इन योजनाओं में कार्यों का चयन स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से किया जाता हैं एवं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय स्तर पर समेकन किया जाता हैं। जिला एवं जनपद स्तरीय स्थानीय निकाय विगत वर्ष की तरह अपने स्तर पर जिलों में संचालित होने वाले कार्यक्रमों की योजनाओं में नागरिकों द्वारा प्रस्तावित कार्यों का विश्लेषण कर उभर कर आई आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं को ध्यान में रख नियोजन करेंगे। जिला योजना समिति, ग्रामीण एवं नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को समेकित कर जिला योजना को अन्तिम रूप देगी।

केन्द्र प्रवर्तित व फ्लैगशिप कार्यक्रमों (MGNREGS, NRHM SSA, NBA, MDM, NSAP, ICDS, BRGF, IAY, PMGSY, RKVY etc.) के अर्न्तगत योजना बनाने के लिये ग्राम स्तरीय सहभागी (Participatory) योजना बनाकर संसाधनों के कनवर्जेंस का लक्ष्य रखा गया है। सभी कार्यक्रमों में अर्न्तक्षेत्रीय (Inter-Sectoral) सहयोग से लक्ष्य प्राप्त करने का प्रावधान हैं। वर्तमान में सभी कार्यक्रमों की योजनायें अलग–अलग लागू करने वाले विभागों द्वारा बनवायी जा रही हैं। एकीकृत रूप से विकेन्द्रीकृत जिला योजना तैयार करने के लिये संस्थागत व्यवस्था एवं क्षमता वृद्धि करके जिलों की योजना तैयार करने से न केवल समय एवं संसाधनों की बचत होगी बल्कि कार्यक्रमों के मध्य समन्वय/कनवर्जेंस (Convergence) भी सुनिश्चित हो सकेगा। महत्वपूर्ण विभागों एवं कार्यक्रमों के बीच समन्वय एवं सहभागिता दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये आपके जिलों में संचालित समस्त कार्यक्रमों की "समेकित जिला योजना " बनाई जायेगी।

जिला योजना समिति के द्वारा अनुंमोदित **समेकित जिला योजना** में से ही अन्य कार्यक्रमों यथा बी.आर.जी.एफ., आर.के.वी.वाय., एन.आर.एच.एम., एस.एस.ए. आदि की जिला स्तरीय योजनायें तैयार की जायेंगी। उक्तानुसार अंतिम रूप से स्वीकृत योजना अनुसार ही जिलों में योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें जिससे कि विकेन्द्रीकृत योजना के उददेश्यों को प्राप्त किया जा सके।

# विकेन्द्रीकृत नियोजन हेतु संस्थागत सरंचना एवं भूमिका

प्रदेश में विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण की प्रक्रिया को संचालित करने के लिये निम्नानुसार व्यवस्था की गई है। :–

## जिला योजना समिति:

विगत वर्षों की तरह जिला स्तर पर शहरी एवं ग्रामीण निकायों हेतु क्षेत्रकवार उप समितियाँ बनायी जायें। जिले में विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया को जिला योजना समिति संचालित करें। नियोजन की प्रक्रिया के दौरान जिले में सेक्टर बनाकर जिला/जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से पर्यवेक्षण कराया जावे। ग्रामीण एवं नगरीय निकायों से प्राप्त योजना प्रस्तावों का समेकन करके जिला योजना समिति जिले की योजना को अंतिम रूप देगी। जिला योजना समिति, जिला योजना का अनुमोदन करवाकर राज्य योजना आयोग को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगी।

## ग्रामीण क्षेत्र:

### जिला पंचायतः

ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन की प्रक्रिया को संचालित करने के लिये "**जिला स्तरीय नियोजन दल**" का गठन किया जाये। जिला पंचायत विभिन्न योजनांतर्गत विकेन्द्रीकृत जिला योजना बनाने के लिये उपलब्ध संसाधनों के मध्य समन्वय करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की योजना बनाने के कार्य को उचित सहयोग प्रदान करें। जिला स्तरीय नियोजन दल, जनपद स्तरीय नियोजन दल को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करायेगा तथा जनपद स्तरीय योजनाओं को समेकन करके जिला योजना समिति को प्रस्तुत करेगा।

### जनपद पंचायतः

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के नेतृत्व में "**जनपद स्तरीय नियाजन दल**" का गठन किया जावे। इसी दल में से प्रशिक्षण प्रदान करने में दक्ष 4–5 सदस्य जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा प्रशिक्षण पश्चात् ग्राम पंचायत स्तरीय "तकनीकी सहायता दल" (टीएसजी) को जनपद स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ग्राम स्तरीय नियोजन प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षण करेंगे एवं समय पर कार्यवाही पूरा कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही पंचायतों की योजनायें प्राप्त कर डाटा एन्ट्री की व्यवस्था करें एवं समेकन कर जनपद पंचायत से अनुमोदन करावें।

**ग्राम पंचायतः**

ग्राम पंचायतों का मुख्य कार्य ग्राम सभा स्तरीय नियोजन के लिये आवश्यक वातावरण निर्माण एवं ग्राम सभाओं से प्राप्त योजनाओं का समेकन करना हैं। ग्राम पंचायतों को नियोजन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण के लिये तालिका में दिये अनुसार "तकनीकी सहायता दल" (Technical Support Group, TSG) का गठन किया जावे। इस कार्य हेतु पूर्व में गठित एवं प्रशिक्षित TSG सदस्य जिन्होंने पूर्व में अच्छा कार्य किया हो उनको प्राथमिकता प्रदान करें। दल में प्रत्येक क्षेत्रक का यथासंभव एक प्रतिनिधि रखा जावे। इस प्रकार प्रत्येक दल में 4 से 6 सदस्य हो सकते हैं। एक दल 2 से 3 ग्राम पंचायतों के समूह (Cluster) को सहायता उपलब्ध कराये। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार पंचायतों की संख्या कम या अधिक की जा सकती है। तकनीकी सहायता दल में स्थानीय स्तर पर सक्रिय NGOs, SRLM, DPIP, तेजस्वनी, जनअभियान परिषद, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं कार्यकर्ताओं आदि को भी शामिल किया जावे। तकनीकी सहायता दल ग्राम सभा स्तर पर पंचायत पदाधिकारियों के सहयोग से नियोजन की प्रक्रिया को संपादित करायें। TSG, ग्राम स्तरीय नियोजन दल को नियोजन की प्रक्रिया एवं विभिन्न क्षेत्रकों के कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायें तथा नियोजन की प्रक्रिया को फेसिलिटेट करें, ताकि ग्राम सभा योजना तैयार कर सके। TSG, ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित योजना प्रारूप ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

**तालिका–1**

| क्र | क्षेत्रक | विभाग | क्षेत्रकवार प्रतिनिधी (TSG के सदस्य) |
|---|---|---|---|
| 1 | **शिक्षा** | स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा | जनशिक्षक/संकुल समन्वयक इत्यादि |
| 2 | **स्वास्थ्य एवं पोषण** | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति | ए.एन.एम/एम.पी.डब्ल्यू /आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास इत्यादि |
| 3 | **आजीविका** | कृषि उद्यानिकी, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुपालन एवं डेयरी, ग्रामोद्योग, उद्योग, सामाजिक न्याय, जल संसाधन, मत्स्यपालन, हथकरघा, सहकारिता, रेशम, योजना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग | कृषि विस्तार अधिकारी / अतिरिक्त विकास विस्तार अधिकारी / उप वन क्षेत्रपाल इत्यादि |
| 4 | **अधोसंरचना प्रबंधन** | लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन, ऊर्जा, योजना | ग्रामीण यांत्रिकी/लोक निर्माण/सिंचाई/ नरेगा इत्यादि विभाग से उपयंत्री अथवा उप वन क्षेत्रपाल |

| क्र | क्षेत्रक | विभाग | क्षेत्रकवार प्रतिनिधी (TSG के सदस्य) |
|---|---|---|---|
| 5 | **उर्जा, ईधन तथा वैकल्पिक उर्जा** | ऊर्जा, ग्रामीण विकास, वन, ऊर्जा विकास निगम | TSG के अंतर्गत आजीविका क्षेत्रक में सम्मलित रहेगा। |
| 6 | **नागरिक अधिकार संरक्षण** | भू–सुधार, सामाजिक न्याय श्रम, महिला एवं बाल विकास, राजस्व | TSG के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्रक में सम्मलित रहेगा। |

**ग्राम सभा:** ग्राम सभा स्तर पर नियोजन की कार्यवाही **"ग्राम विकास समिति "** द्वारा संचालित की जाये। यदि किसी ग्राम सभा में ग्राम विकास समिति सक्रिय नहीं है तो व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अस्थाई समिति के रूप में "ग्राम स्तरीय नियोजन समिति" का गठन कर नियोजन प्रक्रिया का संचालन किया जा सकता है। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली में समस्त वर्गों (महिलायें, विकलांग, अतिगरीब आदि) की भागीदारी सुनिश्चित करें। ग्राम स्तरीय समुदाय आधारित संस्थाओं जैसे स्वयं सहायता समूह, वन समिति, वाटरशेड समिति, पालन शिक्षक संघ इत्यादि जो ग्राम सभा के अंतर्गत संचालित हैं को नियोजन हेतु विचार–विमर्श में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

# ग्रामीण विकेन्द्रीकृत नियोजन संरचनात्मक रेखाचित्र

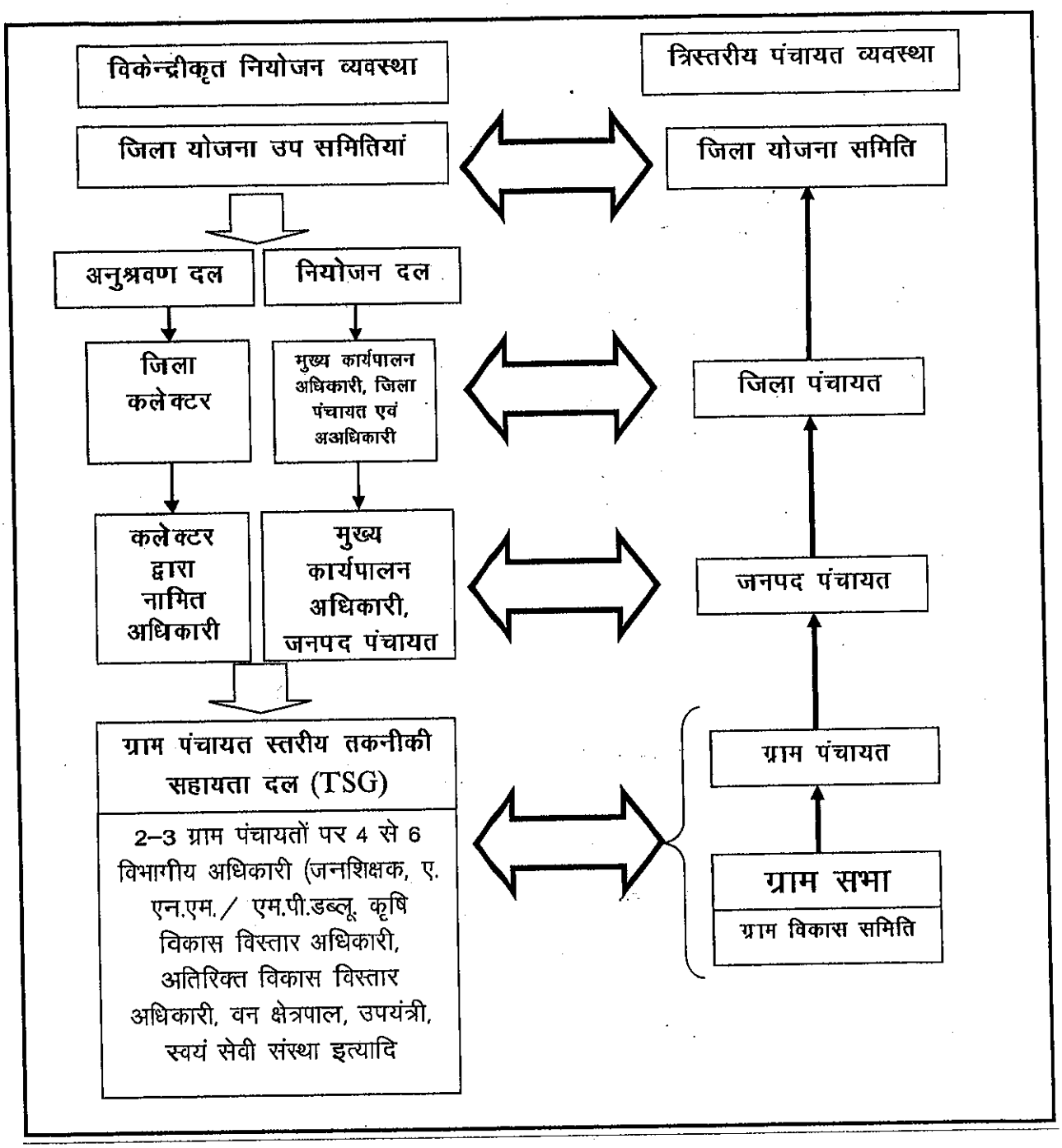

## शहरी क्षेत्रः

### जिला स्तरीय शहरी नियोजन दल :

शहरी क्षेत्रों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिये जिला स्तरीय शहरी नियोजन दल (Urban Planning Group) बनाया जाये। जिसके संचालन में जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA) की मुख्य भूमिका होगी। नगरीय क्षेत्रों में संचालित विभिन्न सेवाओं एवं अधोसंरचनात्मक कार्यों के संचालन करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं स्वंयसेवी संस्थाओं को सम्मिलित करके दल का गठन किया जाये। DUDA नगरीय निकायों की योजनायें जिला योजना समिति को प्रेषित कराना सुनिश्चित करे।

### नगरीय निकाय स्तरीय नियोजन दल :

प्रत्येक नगरीय निकाय में नियोजन की प्रक्रिया को संचालित करने के लिये नियोजन दलों का गठन किया जावे जिसमें नगरीय क्षेत्र के विकास कार्यों से जुड़े हुये विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित किया जावे। स्थानीय स्तर पर सक्रिय स्वंयसेवी संस्थाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। यह दल निकाय स्तर पर वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दल को प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध कराये। वार्ड स्तरीय योजनाओं का समेकन करके नगरीय निकाय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें।

### नगरीय वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दल (TSG) :

2 से 3 वार्डो पर संचालन, तकनीकी मार्गदर्शन एवं नियोजन की कार्यवाही को पूर्ण कराने के लिये स्थानीय अधिकारियों/स्वयंसेवी/सामाजिक कार्यकर्ता का तकनीकी सहायता दल गठित किया जाये। यदि शहरी क्षेत्र के टीएसजी के लिए इंजीनियर/सबइंजीनियर अथवा कोई अन्य तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध न हो जिससे कि अधोसंरचना के निर्माण हेतु अनुमानित व्यय का आंकलन किया जा सकता हो तो ऐसी दशा में क्षेत्र अंतर्गत उपलब्ध पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी अथवा अन्य विभागों के सेवानिवृत्त इंजीनियर/सबइंजीनियरर्स आदि को टीएसजी में सम्मिलित किया जावे जिससे कि योजना निर्माण के कार्य को सुचारू रूप से किया जा सके। यह दल मोहल्ला स्तरीय समितियों के साथ समन्वय कर नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करायें एवं इन योजनाओं को समेकन करके वार्ड स्तरीय योजना तैयार कराना सुनिश्चित करें।

## शहरी विकेन्द्रीकृत नियोजन संरचनात्मक रेखाचित्र

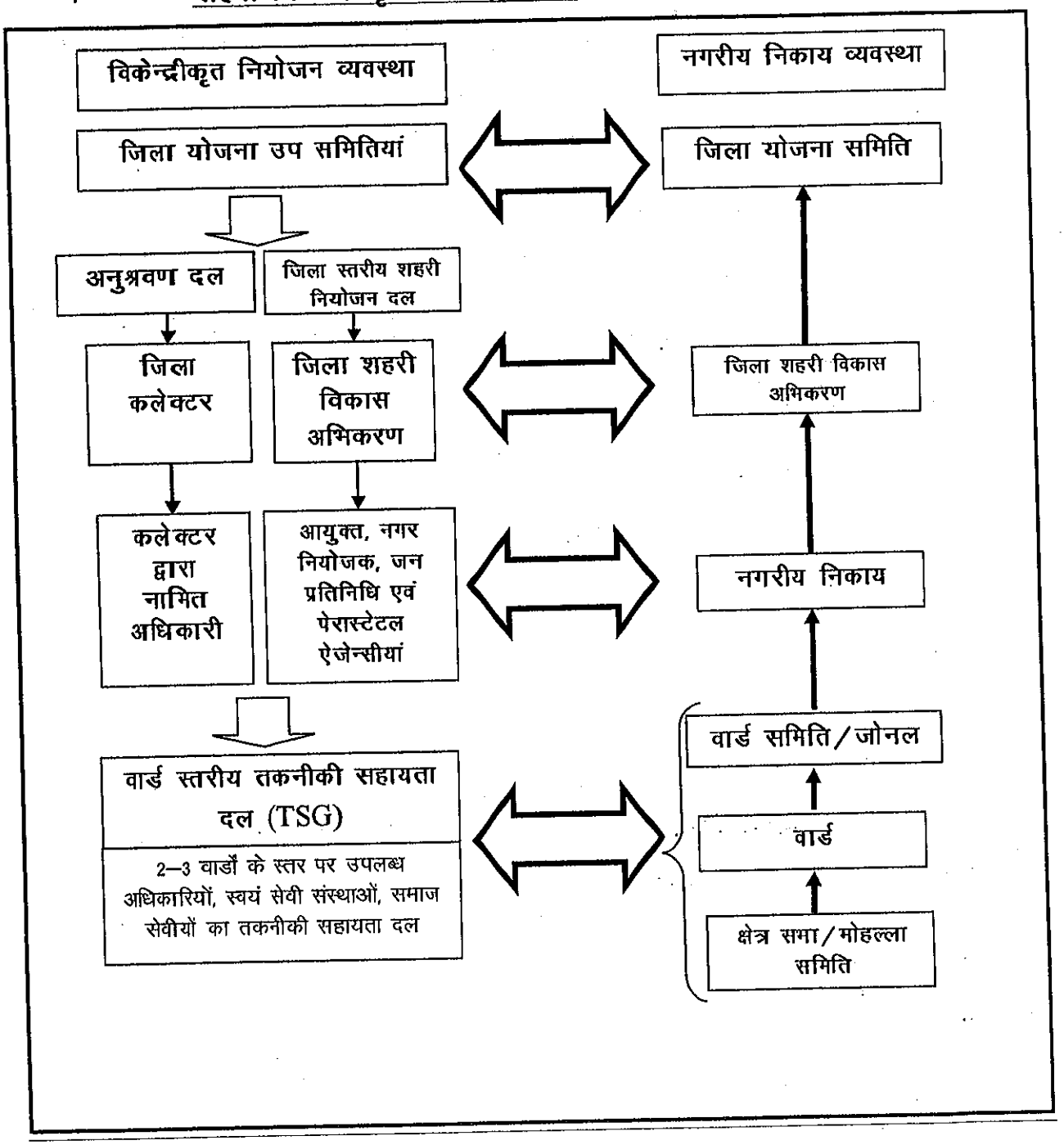

# विकेन्द्रीकृत नियोजन की प्रक्रिया

## जिला स्तर

1 समेकित विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन प्रक्रिया की अगुआई जिले में जिला योजना समिति द्वारा की जावेगी और समिति द्वारा जिला योजना कार्यालय, जिले के सरकारी विभागों, शासकीय सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रमों के जिला कार्यालयों का सहयोग लिया जाये।

2 समेकित विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन प्रक्रिया का प्रारम्भ, जिला योजना समिति अधिनियम 1995 में बताये अनुसार, विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन के मुख्य पहलुओं तथा जिला योजना समिति (DPC) की भूमिका के बारे में जिला योजना समिति के सदस्यों के उन्मुखीकरण के साथ किया जाये।

3 जिला योजना समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा अन्य समस्त निर्वाचित प्रतिनिधियों से आग्रह किया जाये कि वे नियोजन प्रक्रिया में भाग लें और साथ ही नागरिकों को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करें।

4 साथ ही साथ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत और सरकारी विभागों के जिला प्रमुखों के लिये उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन किया जाए जिसमें उन्हें नीचे लिखी बातों के बारे में जानकारी दी जाये–

   a. विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन का उद्देश्य, आवश्यकता एवं प्रक्रिया
   b. मूल्यांकन के विभिन्न संकेतकों की जिला स्तर पर स्थिति
   c. जिले की दृष्टि (vision)

5 जिले के अधिकारियों के लिये उन्मुखीकरण सत्र पूरे होने के बाद DPC एक जिला नियोजन समूह (District Planning Group, DPG) गठित करे। जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों को सम्मिलित कर समूह का गठन किया जावेगा। जिला नियोजन समूह में शहरी एवं ग्रामीण नियोजन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन, मूल्यांकन एवं विभिन्न विभागों तथा विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर समन्वय, आदि का कार्य करेंगे।

**DPG के गठन के बाद –**

6 तकनीकी सहायता दल (TSG) सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिये पूर्व में अच्छा कार्य करने वालों को मास्टर–प्रशिक्षक बनाने के लिये चिन्हित किया जाये।

7 तकनीकी सहायता दल के गठन के लिये, TSG के पूर्व सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला कार्यकर्ताओं, स्नातकोत्तर छात्रों और स्वयं सेवी संगठनों के सदस्यों को चिन्हित किया जाये।

8 नियोजन की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिये DPC स्थानीय मीडिया को विज्ञापन /जनसामान्य को सूचना आदि प्रकाशित की जायें।

## जनपद स्तर /नगरीय निकाय स्तर

1 DPG ब्लाक नियोजन समूहों (Block Planning Group, BPG) का गठन करेगा।

2 नियोजन की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक करने के लिये DPG गतिविधियों को कैलेण्डर अनुसार संपादित करें।

3 प्रगति का आकलन करने के लिये DPG लगातार BPG के साथ संवाद रखें। बैठकों के साथ, वह जिले की समग्र प्रगति के बारे में DPC को अवगत करायें।

4 वालंटियरर्स, स्थानीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी BPG के सहयोग के लिए लिया जा सकता है।

**BPG निम्नलिखित का चयन करेगा :**

5 5–6 प्रशिक्षक जो जिला स्तर पर जिले के मास्टर ट्रेनर्स से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और तकनीकी सहायता दलों को प्रशिक्षिण देंगे।

6 BPG , TSGs को नियोजन इकाईयां सौंपेगा। नियोजन की इकाईयों का चयन TSG के सदस्यों की सहमति से करने को प्राथमिकता दी जाये।

7 ग्रामीण इलाकों में, प्रत्येक TSG को 3 ग्राम पंचायतें सौंपी जायें जिनमें 10–12 ग्राम नियोजन इकाईयां हों। सौंपी गयी ग्राम पंचायतों में यदि 12 ग्राम से ज्यादा हैं तो सौंपी गयी ग्राम पंचायतों की संख्या कम कर दी जाये, ताकि प्रत्येक TSG अधिकतम 10–12 ग्राम नियोजन इकाईयों के लिये उत्तरदायी रहे।

8 शहरी इलाकों में, प्रत्येक TSG को दो वार्ड दिये जायें।

9 BPG, TSG की गतिविधियों के लिये एक नियोजन इकाईवार कैलेण्डर विकसित करे। TSG को जो ग्राम/नगरीय वार्ड इकाईयां सौंपी गयी हैं उनमें कम–से–कम पांच बार प्रत्येक ग्राम/वार्ड सभा का भ्रमण किया जावे। जिससे कि समुदाय को विकेन्द्रीकृत नियोजन के बारे में पूर्ण जानकारी हो सके तथा समुदाय का विश्वास प्रक्रिया के प्रति उत्पन्न हो एवं वे इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी लेकर नियोजन में सहयोग करें। प्रथम चार दिवस का भ्रमण लगातार चार दिवस तक एक ही गांव में ही किया जावे जिससे कि कम से कम चार दिन के भीतर एक नियोजन इकाई

के प्लान को तैयार करवाया जा सके एवं अंतिम भ्रमण जिले द्वारा योजना को अंतिम रूप से अनुमोदन पश्चात् प्राप्त मास्टर प्लान/योजना से अवगत कराने हेतु किया जावे। यदि TSG को ऐसा प्रतीत होता है कि नियोजन इकाई के साथ और अधिक समय देने की आवश्यकता है तो वह चार से अधिक दिवस भ्रमण कर सकते हैं किंतु TSG को सौंपी गई समस्त नियोजन इकाईयों की योजना निर्माण का कार्य समयावधि में कर लिया जावे। ग्राम सभा/ वार्ड सभा द्वारा बनाया गयी योजना की गुणवत्ता अतिमहत्वपूर्ण है। TSG की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। जिस हेतु TSG को विशेष प्रयास करने एवं नियोजन इकाई को उचितपूर्ण तरीके से सहयोग करने की आवश्यकता है। TSG द्वारा क्रमशः भ्रमण के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जावे–

a. **प्रथम दिवस भ्रमण का लक्ष्य** : क्षेत्र/स्थल का भ्रमण (ट्रांसिट वॉक) नागरिकों के साथ चर्चा करते हुये की जावे। नियोजन की प्रक्रिया और तारीखों तथा जिले की दृष्टि पर जागरूकता पैदा करना; हाशिये पर जो समुदाय हैं उनकी पहचान करना और बेसलाइन को प्रमाणित करना।

b. **द्वितीय दिवस भ्रमण का लक्ष्य** : नियोजन इकाईयों में नागरिकों के विभिन्न समूहों के साथ चर्चा ताकि उनकी जरूरतों को समझा जा सके। हाशिये के समुदायों, महिलाओं, निःशक्तों, युवाओं और वृद्धों के साथ अलग–अलग बैठकें आयोजित कर चर्चा करें। जिससे कि प्रत्येक समूह की आवश्यकता दूसरे समूहों से प्रभावित हुये बिना प्राप्त हो सके। इससे जरूरतों का प्राथमिकीकरण करने में भी सहायता प्राप्त होगी।

c. **तृतीय दिवस भ्रमण का लक्ष्य** : नियेाजन इकाई की दृष्टि निर्मित (Vision Building) करने के लिये ग्राम/वार्ड सभा/ ULB की बैठकों की व्यवस्था करना और द्वितीय दिवस के भ्रमण के समय चिन्हित की गयी जरूरतों को प्राथमिकता अनुसार सूचिबद्ध करना।

d. **चतुर्थ दिवस भ्रमण का लक्ष्य** : स्थानीय स्तर पर निधियों की उपलब्धता और कार्यक्रम/योजना के मानकों का ध्यान रखते हुए योजना निर्माण में समुदाय को सहयोग (फेसिलिटेट) करना। योजना को ग्राम सभा/वार्ड सभा/ ULB के द्वारा अनुमोदित करवाना।

e. **पंचम दिवस भ्रमण का लक्ष्य** : DPC के द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित योजना से ग्राम सभा/वार्ड सभा/ ULB को अवगत कराना तथा जो कार्य/गतिविधियां स्वीकृत हुई है अथवा नहीं हुई हैं उसके कारणों से अवगत करना साथ ही ग्राम पंचायत/यूएलबी को प्रतिलिपि उपलब्ध कराना।

10 यह कैलेण्डर तैयार करते समय, BPG नागरिकों की आजीविका संबंधी सरोकारों का ख्याल रखते हुये दिन एवं समय निश्चित करें। इसी प्रकार TSG के सदस्यों को उनके भ्रमण के लिये ऐसा

समय प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करें जिससे ज्यादा से ज्यादा समुदाय की भागीदारी हो सके। TSG द्वारा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने हेतु शाम का समय भी चुना जा सकता है।

11 जिला मास्टर प्रशिक्षकों की क्षमता निर्माण करने के बाद, TSG के सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या 30-40 तक सीमित रखें। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में, प्रत्येक भ्रमण के लिये सौंपी गयी नियोजन इकाईवार बेसलाइन पत्रक और डेटा जमा पत्रक TSG के सदस्यों को उपलब्ध कराये।

12 TSG के सदस्य, BPG के द्वारा विकसित कैलेण्डर के अनुसार नियोजन–इकाईयों का भ्रमण करें।

13 प्रत्येक भ्रमण के अन्त में TSG सदस्य BPG को पूरा किये हुए प्रपत्र प्रस्तुत करेंगे। BPG सहयोग दल ब्लाक और जिला स्तर के लिये इनका मिलान करे। वे द्वितीय दिवस के भ्रमण के समय चिन्हित जरूरतों की उपलब्ध वित्तिय संसाधन तथा योजना/कार्यक्रम के मापदण्डों के आधार पर समीक्षा करें और सरकारी विभागों के द्वारा समीक्षा किये जाने के लिये नियोजन इकाईवार पत्रक विकसित करें।

14 BPG, TSG के द्वारा प्रस्तुत नियोजन इकाई पत्रकों को सरकारी विभागीय मापदण्डों एवं उपलब्ध वित्तिय संसाधनों के आधार पर मानकों और तकनीकी संभाव्यता की दृष्टि से समीक्षा करें। वे ऐसी सेवाओं और सुविधाओं का सुझाव भी देंगे जो नियोजन इकाईयों के समूह (जैसे, जलप्रदाय योजना) के लिये की जा सकती हों। सरकारी विभाग BPG को तकनीकी रूप से अनुमोदित नियोजन इकाईवार पत्रक प्रस्तुत करें।

15 ग्राम/वार्ड सभा/ ULB द्वारा अनुमोदित योजनाओं की प्राप्ति स्वीकृति को डाक से भेजना, किसी भी बदलाव की समीक्षा की जायेगी और उसका समाधान किया जायेगा। BPG सहयोग दल के द्वारा ब्लाक की योजना बनायी जायेगी जो अनुमोदन के लिये DPG को प्रस्तुत की जायेगी। इन योजनाओं के साथ ग्राम/वार्ड सभा/ ULB (जो संवैधानिक रूप से अनुमोदन करने वाली निकाय हैं) की कार्यवाही की एक प्रति संलग्न रहेगी।

16 DPG ब्लाक की योजनाओं की समीक्षा करेगा।

17 DPC नतीजा समितियां गठित करेगा, जिनमें DPC/ZP उप समितियों के सदस्य और कनवर्जेन्स हेतु सरकारी विभागों के जिला प्रमुख हों।

18 DPC नतीजा समितियों के साथ ब्लाक की योजनाओं पर चर्चा करें। इसके बाद नतीजा समितियों में हुई चर्चा को ध्यान में रखते हुए जिला संदर्शी योजना और वार्षिक योजना 2014–15 का प्रारूप तैयार करें।

19 DPG, DPC को जिला संदर्शी योजना और वार्षिक योजना प्रस्तुत करेगा। DPC योजना की समीक्षा करेगी। समीक्षा उपरांत DPG सुझावों को योजना में सम्मिलित/परिवर्तित कर पुनरीक्षित योजना को DPC को प्रस्तुत करेगा।

20 DPC योजना को अनुमोदित करेगी और उसे अनुमोदन के लिये राज्य योजना आयोग को भेज देगी।

21 राज्य योजना आयोग से प्राप्त अनुमोदन पश्चात् DPC, DPG, संबंधित विभाग पुनः बैठक आयोजित कर जिले गांव से प्राप्त योजना की पुनः समीक्षा कर गांव की योजना को अंतिम रूप प्रदान करेंगे। जिसे गांव का मास्टर प्लान कहा जावेगा।

22 DPC उक्त मास्टर प्लान की प्रतिलिपी DPG एवं BPG को अवगत करावें। BPG उक्त मास्टर प्लान TSG को भेजे जो कि इससे समस्त ग्राम/वार्ड सभा को अवगत कराने हेतु पांचवे दिवस के लक्ष्य में प्रस्तावित भ्रमण करें। साथ ही साथ स्वीकृत तथा अस्वीकृत कार्यों एवं गतिविधियों की जानकारी तथा कारणों से नागरिकों को अवगत करावें।

## विकेन्द्रीकृत नियोजन के लिये ऑनलाईन सपोर्ट सिस्टम

जिला योजना वर्ष 2014–15 हेतु गत वर्ष की भांति विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रपत्रों की ऑनलाईन व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीण स्तर से जानकारी संकलित करने के प्रपत्र – **1, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 4** एवं **नगरीय निकायों हेतु प्रपत्र 1, 2, 3, 4, को जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों द्वारा क्रमशः ऑनलाईन डाउनलाड किया जाए एवं संबंधित तकनीकी सहायता दलों को उपलब्ध कराया जावे।** ऑनलाईन व्यवस्था इसलिए की गई है, ताकि गत वर्ष का डाटा, इस वर्ष हेतु बेसलाइन आंकड़े का काम करे एवं गत वर्ष की डाटा प्रविष्टि/जानकारी समस्त प्रपत्रों में प्रिंट होकर ही निकले इस प्रकार की व्यवस्था से जानकारी में दोहराव नहीं होगा, चर्चा का आधार मिलेगा , वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी एवं स्वीकृत कार्यों की मॉनीटरिंग हो सकेगी। इस ऑनलाईन व्यवस्था से डाटा प्रविष्टि का भार कम होगा व समय की बचत होगी। प्रत्येक ग्रामीण/नगरीय निकाय के प्रपत्रों को ऑनलाइन डाउनलोड कर संबंधित TSG को नियोजन हेतु प्रदाय करने की जिम्मेदारी जिले की होगी।

**प्रपत्र–1** (आधारभूत जानकारी) में नवीनतम जानकारी भरी जानी है तथा अन्य बिन्दुओं की जानकारी ग्रामवासियों से चर्चा कर संशोधन अथवा अपडेशन करें। किन्हीं बिन्दुओं पर गत वर्ष अगर जानकारी अप्राप्त अथवा नहीं भरी है, उन जानकारियों को भी भरा जाए।

**प्रपत्र–2** (ग्राम में समस्याओं की वर्तमान स्थिति तथा सेवाओं से संतुष्टि का स्तर) को ऑनलाइन डाउनलोड करने पर गत वर्ष की डाटा प्रविष्टियां दिखाई पड़ेगीं जिन्हें ग्रामवासियों से चर्चा उपरान्त अपडेट किया जाए। नगरीय निकाय हेतु यही कार्य प्रपत्र–1 हेतु किया जाए।

**प्रपत्र– 3A, 3B, 3C, 3D** (ग्राम/ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत/जिला पंचायत की कार्य योजनाएं) – वर्ष 2011–12 एवं 2012–13, 2013–14 के अनुमोदित कार्यों की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति ग्रामवासियों से चर्चा उपरान्त भरा जाना है जैसे कार्य पूर्ण हो चुका है, कार्य चालू है तथा कार्य चालू नहीं हुआ है। यही व्यवस्था नगरीय निकाय प्रपत्र –2 एवं प्रपत्र –3 हेतु भी रहेगी। कृपया ध्यान देंवे कार्य योजना प्रपत्रों में गत वर्ष की निकायवार जानकारी भरी हुई ऑनलाइन प्राप्त हो सकेगी तथा ग्राम/नगरीय वार्डवासियों से चर्चा कर वर्ष 2014–15 की कार्य योजनाएं दर्शाई जानी है।

**प्रपत्र – 4** (पात्र हितग्राहियों की सूची) भी नियोजन इकाईवार (ग्रामवार/नगरीय वार्डवार) ऑनलाइन डाउनलोड कर रहवासियों से चर्चा उपरांत भरा जाए।

ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत स्तर की प्रस्तावित गतिविधियों की प्रविष्टि जनपद पंचायत स्तर पर ऑनलाइन संपादित की जाए। इसी प्रकार शहरी निकायों की डाटा प्रविष्टि संबंधित निकाय स्तर पर ऑनलाइन की जाए। **राज्य योजना आयोग में चर्चा के समय प्रस्तुतिकरण हेतु जिला योजना समितियों को प्रपत्र अ–1 से अ–5, प्रपत्र "ब" एवं प्रपत्र "स" भी ई–मेल के द्वारा अलग से भेजे जा रहे हैं।** जिले की प्रस्तावित योजना सीमा राशि संलग्न है। आदिवासी उप–योजना एवं अनुसूचित जाति उप–योजना की राशि में जिले की आवश्यकतानुसार वृद्धि/कमी राज्य योजना आयोग में जिला योजना पर चर्चा के समय कर ली जाएगी।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत समेकित जिला योजना तैयार किये जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार दिशा–निर्देश के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2014–15 हेतु कार्यक्रम/समय सारणी एवं वित्तीय दिशा–निर्देश इस प्रकार हैं–

## विकेन्द्रीकृत नियोजन वर्ष 2014–15 हेतु कार्यक्रम एवं समय सारणी

| | | |
|---|---|---|
| 1 | • जिला योजना समिति सदस्यों, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों/सदस्यों के लिए उन्मुखीकरण सत्र<br>• जिला/जनपद स्तरीय/नगरीय निकाय नियोजन दलों का गठन एवं जिला योजना समिति के अध्याधीन सेक्टरों में नियोजन के लिये उप समितियों का गठन करना।<br>  • ग्राम पंचायत स्तरीय एवं नगरीय वार्ड स्तरीय तकनीकी सहायता दलों (TSG) का गठन<br>  • जिला स्तर पर प्रशिक्षण (चिन्हित जिला, ब्लॉक एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों का Master Trainer के रूप में) | 15 July, 2013 |

| | | |
|---|---|---|
| | • जनपद/नगरीय निकाय स्तर पर TSG का प्रशिक्षण | |
| 2 | • ग्राम स्तर, मोहल्ला/वार्ड स्तर पर नियेाजन की कार्यवाही प्रारम्भ करना एवं ग्राम सभा/वार्ड सभा में प्रस्तावित योजना/कार्यों का अनुमोदन<br>• ग्राम पंचायत पर ग्राम योजनाओं का समेकन<br>• ग्राम/वार्ड सभा की अनुमोदित योजनाओं की समीक्षा और ब्लाक योजना तैयार करना | 16 July 2013 – 31 August 2013 |
| 3 | जनपद स्तर पर एवं नगरीय निकाय स्तर पर डाटा प्रविष्टि, समेकन, प्रस्तावित कार्यों का विश्लेषण, विभागवार रिस्पोंस प्लान बनाना एवं जिला स्तर पर समेकन हेतु भेजा जाना | 1-10 September, 2013 |
| 4 | जिले के जन–मीडिया और स्वयं सेवी संगठनों, स्थानीय चेम्बर आफ कामर्स, बड़े औद्योगिक इकाईयों के साथ जिले की योजना के प्रारूप को साझा करना ताकि उनकी राय मिल सके | 11-12 September, 2013 |
| 5 | जिला योजना समिति ग्रामीण एवं नगरीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को समेकित कर एवं समस्त विभागों क रिस्पोंस प्लान का विश्लेषण कर जिला योजना को अंतिम रूप देना एवं राज्य योजना आयोग को प्रस्ताव भेजना | 13-20 September, 2013 |
| 6 | राज्य योजना आयोग में जिलों के साथ चर्चा प्रारम्भ | **23 Septmber, 2013 onwards** |

**वित्तीय दिशा–निर्देश:-** जिला विकेन्द्रीकृत योजना के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में जारी निर्देशों का अनुपालन करते हुये शेष धनराशि का उपयोग वर्ष 2014–15 की योजना निर्माण हेतु किया जाये। साथ ही जिले उपलब्ध राशि एवं आवश्यकता का आंकलन कर आवश्यकतानुसार अपना मांगपत्र राज्य योजना आयोग को प्रेषित करें। जिला विकेन्द्रीकृत योजना बनाते समय विभिन्न मदों में निम्नानुसार व्ययों का प्रावधान किया गया है –

| विवरण | व्यय प्रावधान |
|---|---|
| ग्रामीण एवं नगरीय निकाय के लिये जिला स्तरीय Master Trainers प्रशिक्षण/कार्यशाला | प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन ठहरना – 250रू. तक<br><br>प्रति प्रतिभागी भोजन एक समय – 150 रू. तक |

| | |
|---|---|
| | स्टेशनरी – प्रति प्रतिभागी 50रू. तक<br><br>प्रशिक्षण स्थल पर अन्य व्यवस्था करने के लिये आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है। |
| जनपद स्तर पर तकनीकी सहायता दलों (Technical Support Group-TSG) एवं पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण | प्रति प्रतिभागी भोजन एक समय – 100रू. तक<br><br>स्टेशनरी – प्रति प्रतिभागी 50रू. तक<br><br>प्रशिक्षण में स्थानीय अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधि ही भाग लेंगे। अतः ठहरने पर व्यय का प्रावधान नहीं होगा।<br><br>प्रशिक्षण स्थलं पर अन्य व्यवस्था करने के लिये आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है। |
| प्रति ग्रामीण TSG (ग्राम स्तरीय प्रक्रिया संचालन के लिये व्यय) | 2000 रू. |
| प्रति नगरीय TSG (नगरीय वार्ड स्तरीय प्रक्रिया संचालन के लिये व्यय) | 500 रू. |
| डाटा एन्ट्री एवं समेकन कार्य हेतु सेवायें | आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है। |
| वातावरण निर्माण/रेडियो वार्ता/विज्ञापन/पम्पलेट आदि | आवश्यकतानुसार व्यय किया जा सकता है। |

इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिला कलेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और जिला कलेक्टरों से यह अपेक्षा की जाती है कि, वे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अपने मार्गदर्शन में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत स्तर/नगरीय वार्ड आदि नियोजन इकाईयों से योजनायें तैयार कराकर विभिन्न स्तरों पर समेकित करते हुए "समेकित जिला योजना" प्रारूप तैयार करेंगे और निर्धारित अवधि में पूर्ण करने के उपरान्त राज्य योजना आयोग को प्रेषित करेंगे।

———